



सत्यमेव जयते

## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं: NCST/ATY-3538/1434RJ/2/2026-RU-I

दिनांक: 12.05.2026

जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी,  
जिला-जयपुर,  
कार्यालय जिला कलेक्टर,  
जयपुर, राजस्थान- 302001  
ई-मेल: dm-jaip-rj@nic.in

पुलिस आयुक्त, जयपुर,  
पुलिस आयुक्त कार्यालय,  
सरदार पटेल रोड, पत्रकार कॉलोनी,  
सी स्कीम, अशोक नगर,  
जयपुर, राजस्थान- 302001  
ई-मेल: cp.jaipur@rajpolice.gov.in

विषय: नीरजा मोदी स्कूल, मानसरोवर, जयपुर के विद्यालय प्रबन्धन की प्रताड़ना से पीड़ित अनुसूचित जनजाति की बालिका द्वारा विद्यालय भवन के चतुर्थ तल से कूद कर आत्महत्या करने के संदर्भ में श्री विजय कुमार मीणा एवं श्रीमती शिवनी देव निवासी मकान संख्या - 08, आजाद पथ, सिन्धु नगर, मुरलीपुरा, जयपुर - 302039 का अभ्यावेदन दिनांक 26/12/2025 के संदर्भ में।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 24.03.2026 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में दिनांक 20.05.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)  
निदेशक/Director  
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री विजय कुमार मीणा  
निवासी मकान संख्या - 08, आजाद पथ,  
सिन्धु नगर, मुरलीपुरा,  
जयपुर - 302039, राजस्थान  
deepalidev@yahoo.com

कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

श्रीमती शिवनी देव,  
निवासी मकान संख्या - 08, आजाद पथ,  
सिन्धु नगर, मुरलीपुरा,  
जयपुर - 302039, राजस्थान

कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं: NCST/ATY-3538/RJ/2/2026-RU-1

दिनांक: 24.03.2026

जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी,  
जिला जयपुर,  
कार्यालय जिला कलेक्टर,  
जयपुर, राजस्थान 302001  
ई-मेल: dm.jaipur.rj@nic.in

पुलिस आयुक्त, जयपुर,  
पुलिस आयुक्त कार्यालय,  
सरदार पटेल रोड, पत्रकार कॉलोनी,  
सी स्कीम, अशोक नगर,  
जयपुर, राजस्थान 302001  
ई-मेल: cp.jaipur@rajpolice.gov.in

विषय: नीरजा मोदी स्कूल, मानसरोवर, जयपुर के विद्यालय प्रबन्धन की प्रताड़ना से पीड़ित अनुसूचित जनजाति की बालिका द्वारा विद्यालय भवन के चतुर्थ तल से कूद कर आत्महत्या करने के संदर्भ में श्री विजय कुमार मीणा एवं श्रीमती शिवनी देव निवासी मकान संख्या - 08, आजाद पथ, सिन्धु नगर, मुरलीपुरा, जयपुर - 302039 का अभ्यावेदन दिनांक 26/12/2025 के संदर्भ में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर दिनांक 25.02.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत्त इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

हो/—

चेतन कुमार शर्मा/Chetan Kumar Sharma  
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer  
ई-मेल: chetan.sharma777@ncst.nic.in  
दूरभाष: 011-24615012

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:

1. निजी सचिव, माननीय सदस्य (श्री निरूपम चाकमा), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, माननीय सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
3. निदेशक (समन्वय एवं अनुसंधान एकक I), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
4. श्री प्रकाश कुमार ऊईके, वरिष्ठ परामर्शक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
5. श्री विजय कुमार मीणा, निवासी मकान संख्या 08, आजाद पथ, सिन्धु नगर, मुरलीपुरा, जयपुर 302039, राजस्थान।
6. श्रीमती शिवनी देव, निवासी मकान संख्या 08, आजाद पथ, सिन्धु नगर, मुरलीपुरा, जयपुर 302039, राजस्थान।

चेतन कुमार शर्मा/Chetan Kumar Sharma  
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer  
ई-मेल: chetan.sharma777@ncst.nic.in  
दूरभाष: 011-24615012